



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-23032026-271186
CG-DL-W-23032026-271186

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 4]	नई दिल्ली, मार्च 15—मार्च 21, 2026, शनिवार/फाल्गुन 24—फाल्गुन 30, 1947
No. 4]	NEW DELHI, MARCH 15—MARCH 21, 2026, SATURDAY/PHALGUNA 24—PHALGUNA 30, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2026

का.नि.आ. 9.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, भारतीय नौसेना के ज्येष्ठ आयुध भंडार अधिकारी और आयुध भंडार अधिकारी (समूह 'क' और 'ख' पद) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, भारतीय नौसेना, ज्येष्ठ आयुध भंडार अधिकारी और आयुध भंडार अधिकारी (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2026 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.** - ये नियम इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.** - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.** - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **प्रारम्भिक गठन.** - (क) इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक के पद से प्रोन्नत होकर और नियमित आधार पर सहायक आयुध आपूर्ति अधिकारी के पद पर आसीन सभी विद्यमान पदाधिकारी, इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से सहायक आयुध आपूर्ति अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त किए जाने की तारीख से आयुध भंडार अधिकारी के रूप में नियुक्त माने जाएंगे।
(ख) इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व नौसेना आयुध संगठन के भंडार वर्ग (स्ट्रीम) से प्रोन्नत होकर और नियमित आधार पर कनिष्ठ समय पैमाना, भारतीय नौसेना आयुध सेवा के पद पर आसीन सभी विद्यमान पदाधिकारी, इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से और कनिष्ठ समय पैमाना, भारतीय नौसेना आयुध सेवा के पद पर नियमित रूप से नियुक्त किए जाने की तारीख से ज्येष्ठ आयुध भंडार अधिकारी के रूप में नियुक्त माने जाएंगे।
(ग) इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक के पद पर आसीन सभी विद्यमान पदाधिकारी, इन नियमों के प्रारंभ होने सहायक आयुध आपूर्ति अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के लिए पोषक श्रेणी पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. **निरर्हता.** - वह व्यक्ति-
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,
उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
7. **शिथिल करने की शक्ति.** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
8. **व्यावृत्ति.** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन अथवा अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. ज्येष्ठ आयुध भंडार अधिकारी	16* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय, समूह 'क', राजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100 से 177500/- रुपए)।	चयन पद।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति: आयुध भंडार अधिकारी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 7 (44,900 से 1,42,400/- रुपए) में नियमित आधार पर श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की हो और मान्यताप्राप्त संस्थान से तकनीकी या प्रबंधकीय कौशल में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, कानूनी या स्वायत्त संगठन/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम / विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी :- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 (44,900 से 1,42,400/- रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की हो। और (ख) जो निम्नलिखित शिक्षा और अनुभव रखते हो:- (अ) (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी या व्यवसाय अध्ध्ययन या लोक प्रशासन में स्नातक की डिग्री।

	(ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामाग्री प्रबंधन या भांडागार प्रबंधन या खरीद या संभारतंत्र या लोक उपायन मे डीप्लोमा । (iii) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, कानूनी या स्वायत्त संगठन/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/ विश्वविद्यालय या राष्ट्रीयकृत बैंक या भंडार में खाता अनुरक्षण और भंडार संचालन मे पाँच वर्ष का अनुभव । या (आ) (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी या व्यवसाय अध्धयन या लोक प्रशासन मे मास्टर डिग्री । और; (ii) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, कानूनी या स्वायत्त संगठन/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/ विश्वविद्यालय या राष्ट्रीयकृत बैंक मे या भंडार में खाता अनुरक्षण और भंडार संचालन मे तीन वर्ष का अनुभव । टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति मे हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग मे इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, (प्रोन्नति के संबंध मे विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1) अध्यक्ष/ सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष; (2) संयुक्त सचिव (ए एफ) या रक्षा मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य संयुक्त सचिव -सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(3) निदेशक असैनिक कार्मिक, नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय -सदस्य। समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति, (पुष्टि के संबंध में विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1) अतिरिक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष; (2) संयुक्त सचिव (ए एफ) या रक्षा मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य संयुक्त सचिव -सदस्य; (3) निदेशक असैनिक कार्मिक, नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय - सदस्य।	
---	--

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन अथवा अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. आयुध भंडार अधिकारी।	32* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय, समूह 'ख', राजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900 से 142400/- रुपए)।	चयन पद।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(6)	(7)	(8)
35 वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु -सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	आवश्यक: (अ) (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी या व्यवसाय अध्धन या लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या कानूनी या स्वायत्त संगठन/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/ विश्वविद्यालय या राष्ट्रीयकृत बैंक में या भंडार में खाता अनुरक्षण और भंडार संचालन में एक वर्ष का अनुभव। या (आ) (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी या व्यवसाय अध्धन या लोक प्रशासन में स्नातक की डिग्री।	लागू नहीं होता।

	और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामाग्री प्रबंधन या भांडागार प्रबंधन या खरीद या संभारतंत्र या लोक उपायन में डीप्लोमा। और (ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र, कानूनी या स्वायत्त संगठन/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/ विश्वविद्यालय या राष्ट्रीयकृत बैंक में या भंडार में खाता अनुरक्षण और भंडार संचालन में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	
--	---	--

परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष। टिप्पण : केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परीवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों हेतु कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	(i) 20% सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 80% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति: ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक (आयुध), जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400 से 1,12,400/- रुपए) में नियमित आधार पर श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की हो और मान्यता प्राप्त संस्थान से तकनीकी या प्रबंधकीय कौशल में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/

	पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र के अधिकारी:- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35,400 से 1,12,400/- रुपए) में या समतुल्य में नियमित आधार पर श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की हो। और (ख) जो स्तंभ संख्या (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हो। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1) सहायक मुख्य कार्मिक अधिकारी (सिविलियन), नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय -अध्यक्ष; (2) प्रधान निदेशक असैनिक कार्मिक या निदेशक असैनिक कार्मिक, नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय -सदस्य; (3) संयुक्त निदेशक नौसेना आयुध भंडार, नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय - सदस्य; (4) अवर सचिव/ रक्षा (नियुक्ति), रक्षा मंत्रालय - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति, (पुष्टि के संबंध में विचार करने हेतु), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1) सहायक मुख्य कार्मिक अधिकारी (सिविलियन), नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय -अध्यक्ष; (2) प्रधान निदेशक असैनिक कार्मिक या निदेशक असैनिक कार्मिक नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय - -सदस्य; (3) संयुक्त निदेशक नौसेना आयुध भंडार, नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय -सदस्य।	
--	--

[फा. सं. सी पी(जी)/1508/आर आर एस/एसओ/30/आर आर /डी(ए पी पी टी टी स)/2026]

ए. पि हरीनारायणन, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2026

S.R.O. 9.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Armament Store Officer and Armament Store Officer (Group 'A' and 'B' posts) in Indian Navy, Ministry of Defence, namely :-

- Short Title and Commencement .—** (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Indian Navy, Senior Armament Store Officer and Armament Store Officer, (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application .—** These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and level in pay matrix .—** The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualification, etc .—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Initial Constitution .—**(a) All existing incumbents holding the post of Assistant Armament Supply Officer on regular basis and promoted from Senior Store Superintendent before the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed as Armament Store Officer from the date from which they were regularly appointed to the post of Assistant Armament Supply Officer on commencement of these rules .
(b) All existing incumbents holding the post of Junior Time Scale of Indian Naval Armament Service on regular basis and promoted from Store stream of Naval Armament Organisation before the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed as Senior Armament Store Officer from the date from which they were regularly appointed to the post of Junior Time Scale of Indian Naval Armament Service on commencement of these rules.
(c) Existing incumbents in the post of Senior Store Superintendent before the commencement of these rules will cease to be considered in the feeder grade for promotion to the post of Assistant Armament Supply Officer on commencement of these rules.
- Disqualification .—** No person,—
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax .-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Savings .-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay level in the pay matrix	Whether selection or non - selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Senior Armament Store Officer.	16* (2026) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Non-Ministerial, Group 'A', Gazetted.	Level – 10 in the pay matrix (Rs.56,100 – 1,77,500)	Selection post.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of Probation, if any,	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption from which promotion or deputation/ absorption be made
(9)	(10)	(11)
Two years	Promotion failing which by deputation including short term contract.	Promotion :- Armament Store Officer in level 7 of the pay matrix (Rs. 44,900 – 1,42,400) with five years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training in technical or managerial skills from a recognized institute. Note :-Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation:- Officers of the Central Government, State Government, Union Territories, Statutory or autonomous organisation/PSUs/ University or Recognised Research Institutions:

		(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With five years service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 of the pay matrix (Rs. 44,900 – 1,42,400) or equivalent in the parent cadre or department; And b) Possessing the following education and experience : (A) (i) Bachelor's Degree with Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Administration from a recognised University or Institute and; (ii) Diploma in Material Management or Warehousing Management or Purchasing or Logistics or Public Procurement from recognised University or Institute and; (iii) Five years' experience in handling stores and keeping accounts in a store or in Central Government, State Government, Union Territories, statutory or autonomous organisation or PSUs, University or Nationalized Banks. Or (B) (i) Master's Degree with Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Administration from a recognised University or Institute and; (ii) Three year experience in handling stores and keeping accounts in a store or in a concern of Central Government or State Government/ statutory or autonomous organisation/ PSUs/ University/ Nationalised Banks. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.
--	--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of : 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission. - Chairman;	Consultation with Union Public Service Commission necessary on promotion.

2. Joint Secretary (AF) or any other Joint Secretary, Nominated by Ministry of Defence. - Member; 3. Director of Civilian Personnel, Naval Headquarters, Ministry of Defence. -Member. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (For considering confirmation) consisting of : 1. Additional Secretary, -Chairman; Ministry of Defence. 2. Joint Secretary (AF) or any other Joint Secretary, Nominated by Ministry of Defence. - Member; 3. Director of Civilian Personnel, Naval Headquarters, Ministry of Defence. -Member.	
---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Armament Store Officer.	32* (2026) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Non-Ministerial, Group 'B', Gazetted.	Level 7 in the pay matrix (Rs. 44,900–1,42,400).	Selection.

(6)	(7)	(8)
Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issue by Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	Essential: (A) (i) Master's Degree with Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Administration from a recognised University or Institute and; (ii) One year experience in handling stores and keeping accounts in a store or in a concern of Central Government or State Government/ Union Territory/ Statutory or autonomous organization or PSUs or University or Nationalised Banks. Or (B) (i) Bachelor's Degree with Economics or Commerce or Statistics or Business Studies or Public Administration from a recognised University or Institute and; (ii) Diploma in Material Management or Warehousing Management or Purchasing or Logistics or Public Procurement from recognised University or Institute and; (iii) Two years' experience in handling stores and keeping accounts in a store or Central Government or State Government/	Not applicable.

	Union territories or Statutory or autonomous organization or PSU or University or Nationalised Banks. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	
--	---	--

(9)	(10)	(11)
Two years. Note: There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	(i) 20% by direct recruitment. (ii) 80% by promotion failing which by deputation.	Promotion :- Senior Store Superintendent (Armament) in Level 6 in the pay matrix (Rs.35,400 – 1,12,400) with five years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training in technical or managerial skills from a recognised Institute. Note -Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation Officers under the Central Government/ State Government/ Union territories: (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With five years service in the grade rendered after appointment to the post on regular basis in level 6 in the pay matrix (Rs. 35,400 – 1,12,400) or equivalent in the parent cadre or department; And b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column no. 7.

		Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.
--	--	--

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (For considering promotion) consisting of : 1. Assistant Chief of Personnel (Civilian), Naval Headquarters, Ministry of Defence. - Chairman; 2. Principal Director of Civilian Personnel/ Director of Civilian Personnel, Naval Headquarters, Ministry of Defence. - Member; 3. Joint Director of Naval Armament, Naval Headquarters, Ministry of Defence. - Member; 4. Under Secretary/ D(Appointments), Ministry of Defence. - Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (For considering confirmation) consisting of : 1. Assistant Chief of Personnel (Civilian), Naval Headquarters Ministry of Defence - Chairman 2. Principal Director of Civilian Personnel/ Director of Civilian Personnel, Naval Headquarters Ministry of Defence -Member 3. Joint Director of Naval Armament Naval Headquarters Ministry of Defence - Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary on direct recruitment.

[F. No. CP(G)/1508/RRs/ASO/30/RR/D(Apptts)/2026]

MP HARINARYANAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

का.नि.आ. 10.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय नौसेना, समूह 'ख' (शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द), पद भर्ती नियम 2016, को, जहाँ तक उनका संबंध सिविलियन शिक्षा अनुदेशक श्रेणी- I के पद से है, उन बातों के सिवाय आंशिक रूप से अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, भारतीय नौसेना में सिविलियन शिक्षा अनुदेशक श्रेणी- I के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, भारतीय नौसेना, सिविलियन शिक्षा अनुदेशक श्रेणी -I (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होना.** – ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.** – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.** – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **निरर्हता.** – वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,
उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
6. **शिथिल करने की शक्ति.** – जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति.** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा भूतपूर्व सैनिकों एवं अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. सिविलियन शिक्षा अनुदेशक श्रेणी-1।	29* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय, समूह 'ख', राजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8-47600 से 151100/- रु.।	चयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	50% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, और 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।	प्रोन्नति: सिविलियन शिक्षा अनुदेशक श्रेणी-II, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 7 (44900-142400/- रु०) में उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और शिक्षण क्षेत्र में दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या कानूनी या स्वायत्त संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी:- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में, वेतन मैट्रिक्स में स्तर -07

	(रु 44900-142400) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हो:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान या गणित के साथ स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड) डिग्री या समतुल्य; और (iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन संस्थाओं में अध्यापन के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 1.-प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3.-प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गयी सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसे उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गयी सेवा समझी जाएगी।
--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक, सिविलियन कार्मिक, अध्यक्ष; नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

2.	उपनिदेशक, नौसेना शिक्षा, नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय	-सदस्य;
3.	अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय (नियुक्ति) रक्षा मंत्रालय	- सदस्य।

[फा. सं. सी पी(जी)/1503/आर आर/सीईओ/ /डी(ए पी पी टी टी एस)/2026]

एम पी हरीनारायणन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2026

S.R.O. 10.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in partly supersession of the Navy Group 'B' (Instructional Staff) posts Recruitment Rules 2016, in so far as they relate to the post of Civilian Education Instructor Grade-I, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Civilian Education Instructor Grade - I in the Indian Navy, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement .-** (1) These Rules may be called the Ministry of Defence, Indian Navy Civilian Education Instructor Grade – I, (Group 'B' post) Recruitment Rules 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application .-**These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and Level in pay matrix .-** The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc .-** The method of recruitment, age-limits, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification .-** No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax .-** Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class, category of persons.

7. **Savings .-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of Post.	Classification.	Level in pay matrix	Whether selection or non - selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Civilian Education Instructor Grade – I.	29* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Ministerial, Group 'B', Gazetted.	Level – 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100)	Selection

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of Probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption from which promotion or deputation/absorption be made.
(9)	(10)	(11)
Not applicable	50% by promotion failing which by deputation including short term contract and 50% by deputation including short term contract.	Promotion: Civilian Education Instructor in Grade – II in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with two years regular service in the grade and having successfully completed the mandatory training of two weeks in the field of teaching. Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Deputation (including short term contract): Officers of the Central Government, State Government, Union Territories, Autonomous or Statutory Organisations, Public Sector Undertakings, University or Recognised Research Institutions :- (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; (ii) with two years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualification and experience: (i) Post Graduate Degree with Physics or Mathematics as one of the subjects from a recognised university or institute; (ii) Bachelor's Degree in Education (B.ed.) from a recognised university or institute; and (iii) one year experience in the field of teaching in Central Government or State Government or Union territories institutions. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 1.- Period of deputation including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government

		shall ordinarily not to exceed three years. Note 2.- The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications. Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the sixth central pay commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.		Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)		(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director of Civilian Personnel, Naval Headquarters, Ministry of Defence -Chairman; 2. Deputy Director of Naval Education, Naval Headquarters, Ministry of Defence -Member; 3. Under Secretary/ D(Apptts) Ministry of Defence - Member.		Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. CP(G)/1503/RR/CEO/ /D(Apptts)/2026]

MP HARINARAYANA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026

का.नि.आ. 11.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में, रक्षा मंत्रालय, सैन्य कार्य विभाग के अंतर्गत एकीकृत मुख्यालय (सेना) के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय को, जिसके 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम/पता जिसे राजभाषा नियम, 1976 के उप-नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया जाना है
1.	सैनिक अस्पताल, हिसार – 900383, द्वारा 56 एपीओ

[फा. सं. 1(2)/2024-रक्षा (रा.भा.1)]

अनिल कुमार छापोलिया, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2026

S.R.O. 11.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of Ministry of Defence, D/o Military Affairs, more than 80% staff whereof have acquired working knowledge of Hindi :-

1.	Military Hospital, Hisar, Pin: 900383, C/o 56 APO
----	---

[F. No. 1(2)/2024-D(OL-I)]

ANIL KUMAR CHHAPOLIA, Jt. Secy.